मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

नि:शक्तजनों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण / छूट

एवं

नि:शक्तजनों के आरक्षित पदों के लिए विशेष भरती अभियान

इकजाई निर्देश

श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में निःशक्तजनों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार दिया गया है:-

1. दृष्टिबाधित	:	2 प्रतिशत
2. श्रवणबाधित	:	2 प्रतिशत
3. अस्थिबाधित	:	2 प्रतिशत

(2) उपरोक्त आरक्षण "होरीजेन्टल" रहेगा तथा नियुक्त किये गये निःशक्तजन को आरक्षण रोस्टर में उसके प्रवर्ग के अनुसार क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित के लिये चिन्हांकित बिन्दु के विरूद्ध दर्शाया जायेगा।

(दो) - सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये निःशक्तजनों की श्रेणियों की परिभाषा

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 36035/14/95/स्था. (आ.) दिनांक 27.2.96, सहपठित ज्ञाप क्रमांक 36035/14/95/स्था. (आ.) दिनांक 4.6.98 के द्वारा सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये निःशक्तजनों की श्रेणियों की परिभाषा निम्नानुसार निर्धारित की है :-

Definitions of the categories of the handicapped for the purposes o reservation in employment.

BLINDNESS OR LOW VISION (दृष्टिबाधित / आंशिक दृष्टिबाधित)

The Blind are those who suffer from either of the following conditions: -

(a) Total absence of sight;

(b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the bett eye with correcting lenses;

(c) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degre or worse.

(26)

HEARING IMPAIRMENT (श्रवणबाधित)

The Deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear / understand sounds at all events with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing loss for more than 90 decibles in the better ear (profound impairment) or total loss of hearing in both ears.

LOCOMOTOR DISABILITY OR CEREBRAL PALSY (अस्थिबाधित)

The Orthopaedically handicapped are those who have a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints. All cases of orthopaedically handicapped persons would be covered under this category.

Each category of disability has been divided into four groups as under:

(a)	**Mild**	:	**Less than 40%**
(b)	**Moderate**	:	**40% and above;**
(c)	**Severe**	:	**75% and above**
(d)	**Profound/Total**	:	**100%**

The minimum degree of disability in order for a person to be eligible for any concessions / benefits would be 40%.

टीप:-सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 716-852-1-3-82 दिनांक 24.11.1982 के द्वारा ये निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि जो "कुष्ठ रोगी" उपचार के बाद भी किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं, उन्हें नि:शक्तजनों के समान सेवाओं में आरक्षण दिया जायेगा।

(तीन) - निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

(i) भारत सरकार द्वारा समय समय पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों का चिन्हांकन किया गया है। प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग ने अपनी टीप क्रमांक 1073/04/26-1, दिनांक 24.7.04 के द्वारा उपरोक्त पदों की सूची सभी विभागों को प्रेषित की है। सभी विभाग उपरोक्त चिन्हांकित पदों की सूची अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी / सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे। विभाग/ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति प्राधिकारी पद के कार्य की प्रकृति एवं दायित्व के आधार पर उपरोक्त चिन्हांकित पदों के अलावा, अन्य पदों का भी चिन्हांकन कर सकते हैं।

पदों के चिन्हांकन के लिये राज्य स्तरीय समिति

(ii) राज्य सरकार के अंतर्गत कुछ पद / पदनाम भारत सरकार के पदनाम से भिन्न हैं या राज्य सरकार के अधीन कुछ ऐसे पद हैं, जो भारत सरकार के किसी भी विभाग में नहीं हैं, भारत सरकार के समतुल्य पद, प्रत्येक पद के कार्य की प्रकृति एवं पद के दायित्व के आधार पर राज्य सरकार में समतुल्य पदों का निःशक्त व्यक्तियों के लिये चिन्हांकन करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 'एफ 8-3/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 2.4.2004 के द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के संयोजक अपर सचिव/उप सचिव, सामाजिक न्याय विभाग हैं।

(चार) - निःशक्तजनों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये नोडल विभाग/ नोडल अधिकारी

लोक सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-17-1992-1-4, दिनांक 1.4.1992 द्वारा 'सामान्य प्रशासन विभाग' को 'नोडल विभाग' घोषित किया गया है। साथ ही, शासन ने आयुक्त, निःशक्तजन की भी नियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एस 19-130-89-एक-4 द्वारा आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा को निःशक्तजनों के कल्याण के

लिये "नोडल अधिकारी" घोषित किया गया है। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3-6-81-3-1, दिनांक 29-7-1981 के द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक विभाग में उप सचिव स्तर का एक अधिकारी मनोनीत किया जाय जो अपने विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष / अधीनस्थ कार्यालयों / विभाग के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों / स्वायत्त संस्थाओं में शासन की नीति के अंतर्गत निःशक्तजनों के आरक्षण के समुचित कार्यान्वयन के कार्य का पर्यवेक्षण / अनुश्रवण करेगा।

(पाँच) - 100 विन्दु आरक्षण रोस्टर में निःशक्तजनों के आरक्षण की स्थिति

(1) 100 विन्दु आरक्षण रोस्टर में निःशक्तजनों के आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाला पुनरीक्षित पत्रक सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8-4/2001/ आ.प्र./एक, दिनांक 22.11.2002 द्वारा जारी किया गया था। इसमें निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित विन्दु निम्नानुसार दर्शाये गये थे :-

द्वितीय श्रेणी सेवा / पद			तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा / पद		
रोस्टर में विन्दु क्रमांक	आरक्षित / अनारक्षित	विकलांगों के लिए आरक्षित रोस्टर विन्दु	रोस्टर में विन्दु क्रमांक	आरक्षित / अनारक्षित	विकलांगों के लिए आरक्षित रोस्टर विन्दु
16	अनुसूचित जाति	आरक्षित (विकलांग)	16	अनुसूचित जाति	आरक्षित (विकलांग)
33	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)	33	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
46	अन्य पिछड़ा वर्ग	आरक्षित (विकलांग)	50	अनुसूचित जनजाति	आरक्षित (विकलांग)
66	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)	67	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
83	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)	83	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
100	अनुसूचित जनजाति	आरक्षित (विकलांग)	96	अन्य पिछड़ा वर्ग	आरक्षित (विकलांग)

(2) इस प्रकार निःशक्तजनों के लिये आरक्षण रोस्टर में प्रथम विन्दु सरल क्रमांक 16 (अनुसूचित जाति) के रूप में चिन्हांकित किया गया था। यह महसूस किया गया है कि तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद अधिकांशतः जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय संवर्ग में होते हैं। इन संवर्गों में सामान्यतः स्वीकृत पदों की

संख्या काफी कम होती है । इसके कारण निःशक्तजनों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में निर्धारित 6 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8–5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31 मार्च, 2005 द्वारा पूर्व में जारी ज्ञापन दिनांक 22.11.2002 को निरस्त करते हुए निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति के लिये भारत सरकार में प्रचलित व्यवस्था, जिसे नीचे कंडिका (छः) में दर्शाया गया है, लागू की गई है ।

(छः) – निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नवीन प्रकिया

(1) निःशक्तजनों के लिये द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं/पदों में 6 प्रतिशत आरक्षण की संगणना प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त श्रेणी में विद्यमान एवं चालू भरती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के आधार पर की जायेगी । निःशक्तजनों की नियुक्ति उनके लिये चिह्नांकित किये गये पदों पर ही की जायेगी । 6 प्रतिशत आरक्षण की संगणना नीचे दर्शाई प्रकिया के अनुसार की जायेगी ।

(2) प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, प्रत्येक नियुक्ति–प्राधिकारी, उसके प्रशासकीय नियंत्रण की, सीधी भरती के लिये विद्यमान एवं प्रत्याशित रिक्तियों का आंकलन करेगा। इन रिक्तियों को, प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में, विभिन्न ग्रेड/संवर्गों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण को कियान्वित करने के लिये पृथक से संधारित आरक्षित रोस्टर में plot किया जायेगा । यदि विभिन्न पदों में उपलब्ध ऐसी रिक्तियां, निःशक्तजनों की एक से अधिक श्रेणियों द्वारा भरी जा सकती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अग्रणित एवं नवीन उद्भूत रिक्तियों को ध्यान में रेखते हुए, यह भी work-out करेगा कि कितनी रिक्तियां, निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित की जा सकती हैं । नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में पूर्ण कर, विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी तक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा जिसमें रिक्तियों के विषय में निम्नलिखित जानकारी का समाविष्ट किया जायेगा :–

(28)

(i) कुल उपलब्ध रिक्त पद, जिन्हें सीधी भरती से भरे जाने की आवश्यकता है उस पद का नाम एवं उसकी श्रेणी (यथा तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी) भी दर्शाई जायेगी।

(ii) यह भी दर्शाया जायेगा कि क्या वह पद निःशक्तजन के लिये चिन्हांकित किया गया है। यदि हां, तो निःशक्तजन की किस श्रेणी (दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित / अस्थिबाधित) के लिये चिन्हांकित है।

(iii) चिन्हांकित पदों की स्थिति में, उपरोक्त क्रमांक (1) में उल्लिखित पदों में से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अग्रणित (carry forward) एवं नवीन रिक्तियों को सम्मिलित कर, कितनी रिक्तियां निःशक्तजनों के लिये आरक्षित की जा सकती है।

(iv) 30 प्रतिशत शासकीय अमले में कटौती :- 30 प्रतिशत की कटौती सम्पूर्ण अमले में से की जाकर सेटअप का पुनः निर्धारण किया जाना चाहिये और पुनः निर्धारित सेटअप में आरक्षण प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों का आंकलन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिये।

जनवरी माह में यह कार्यवाही करने के बाद, यदि भरती वर्ष में अतिरिक्त रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रिक्तियां जैसे ही उपलब्ध होती हैं, उसका प्रतिवेदन / जानकारी विभागाध्यक्ष को तत्काल प्रेषित की जायेगी ताकि वे इन अतिरिक्त रिक्तियों को सम्मिलित कर, निःशक्तजनों के लिये किये जाने वाले आरक्षण का पुनर्निर्धारण करने की स्थिति में रहे। यदि किन्हीं कारणों से, प्रत्याशित की गई रिक्तियों में कमी हो जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे भी विभागाध्यक्ष को प्रतिवेदित किया जायेगा ताकि वह अपने स्तर से आवश्यक समायोजन कर सके।

3) (i) प्रत्येक विभागाध्यक्ष, इस उद्देश्य के लिये पृथक से 100 बिन्दु रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्रत्येक 100 बिन्दु के चक्रानुक्रम (cycle) को तीन खण्डों (blocks) में निम्नानुसार विभाजित किया जायेगा :-

प्रथम खण्ड (Ist Block)	-	बिन्दु क्रमांक 1 से 33
द्वितीय खण्ड (IInd Block)	-	बिन्दु क्रमांक 34 से 67
तृतीय खण्ड (IIIrd Block)	-	बिन्दु क्रमांक 68 से 100

विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार प्रतिवेदित समस्त रिक्तियां, संबंधित श्रेणी (तृतीय श्रेणी एवं चतर्थ श्रेणी) के अनुसार, उपरोक्त रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेगी। तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी

के पदों के लिये उपरोक्त लेखा पृथक पृथक वर्षानुक्रम (year to year basis) के आधार पर रखा जायेगा और प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त हो जायेगा। रिक्तियों के प्रत्येक खण्ड में, निःशक्तजनों की एक अथवा अधिक श्रेणियों के लिये चिन्हांकित पद/ग्रेड में 2 रिक्तियाँ आरक्षित की जायेंगी। उदाहरणार्थ यदि किसी भरती वर्ष में तृतीय श्रेणी के पदों में 33 रिक्तियाँ उपलब्ध होती हैं तो इस श्रेणी के पदों में इनमें से 2 रिक्तियाँ निःशक्तजनों के लिये आरक्षित रहेंगी। सभी रिक्तियों की संगणना (computation) तथा निःशक्तजनों के लिये आरक्षण ऊपर दर्शाये अनुसार खण्डवार (blockwise) निर्धारित कर, विभागाध्यक्ष, निःशक्तजनों के लिये आरक्षित इन रिक्तियों को विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों के बीच वितरण (distribution) करेगा। यह वितरण, विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों के अधीनस्थ चिन्हांकित श्रेणी (identified categories) की उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जायेगा। यह ध्यान रखा जायेगा कि निःशक्तजनों के लिये निर्धारित 6 प्रतिशत आरक्षण, यथासंभव निःशक्तजनों की तीनों श्रेणियों (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित) में बराबर-बराबर (दो - दो प्रतिशत) वितरित किया जाय।

(ii) यदि रिक्तियाँ इतनी हैं कि उससे केवल एक खण्ड (block) अथवा दो खण्ड ही पूरे (cover) होते हैं तो विभागाध्यक्ष को चाहिए कि वह यह देखें कि उपलब्ध रिक्तियाँ निःशक्तजनों की किस श्रेणी (category) से भरी जायें। विभागाध्यक्ष, पद के कार्य की प्रकृति एवं संबंधित ग्रेड / पद में विशिष्ट निःशक्तजन की श्रेणी (specific handicapped category) के प्रतिनिधित्व के आधार पर उपरोक्त निर्णय लेगा।

(iii) आरक्षण का उपयोग, उसी खण्ड (block) जिसमें वह उद्भूत हुआ है, नहीं होने की स्थिति में, उसे उसी वर्ष में अगले खण्ड अथवा खण्डों (block or blocks) में, जैसी भी स्थिति हो, अग्रणित (carry forward) किया जायेगा। वर्ष के दौरान, आरक्षण का उपयोग, किन्हीं खण्डों में नहीं हो पाने की स्थिति में, ऐसा आरक्षण अगले तीन भरती वर्षों तक अग्रणित (carry forward)

किया जायेगा जिसके अंत में उक्त अग्रणित आरक्षण समाप्त (lapsed) माना जायेगा। विशिष्ट श्रेणी के निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आपसी अदला-बदली (mutual exchange) की जा सकेगी। आपसी "अदला-बदली" का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है:-

उदाहरण

किसी विभागाध्यक्ष के अधीन भरती वर्ष में तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों में निम्नानुसार रिक्तियाँ उपलब्ध हैं :-

पदनाम	उपलब्ध रिक्तियाँ
1. सहायक ग्रेड-3	40
2. स्टेनो टायपिस्ट	20
3. वाहन चालक	15
4. प्रयोगशाला सहायक	10
5. अनुसंधान सहायक	15
6. आरक्षक	35
कुल रिक्तियाँ	135

उपरोक्त पदों में से केवल सहायक ग्रेड-3, स्टेनो-टायपिस्ट एवं प्रयोगशाला सहायक के पद, संबंधित स्थापना में निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित किये गये हैं, जबकि अन्य पद चिन्हांकित नहीं किये गये हैं। सहायक ग्रेड-3 एवं स्टेनो टायपिस्ट के पद अस्थिबाधित एवं दृष्टिबाधित के लिये चिन्हांकित किये गये हैं, जबकि प्रयोगशाला सहायक का पद अस्थिबाधित एवं श्रवणबाधित / आंशिक श्रवणबाधित के लिये चिन्हांकित है। इस प्रकरण में निःशक्तजनों के आरक्षण के लिये कुल 135 रिक्तियाँ गणना में ली जायेंगी (यद्यपि निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों में रिक्तियों की संख्या केवल 70 होती है)। तदनुसार कुल उपलब्ध रिक्तियाँ 135 में निःशक्तजनों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण के मान से उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या 8 होगी। इन रिक्तियों को निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों

- सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट एवं प्रयोगशाला सहायक में विभाजित किया जायेगा। इन्हीं 3 चिन्हांकित संवर्गो के 100 बिन्दु रोस्टर में निःशक्तजनों के लिये आरक्षित बिन्दुओं का उपयोग किया जायेगा। इसे नीचे उपकंडिका (5) में विस्तार से समझाया गया है। इस मामले में, चूंकि प्रयोगशाला सहायक का पद श्रवण बाधित / आंशिक श्रवण बाधित के लिये भी चिन्हांकित किया गया है अतः श्रवण बाधित के आरक्षण के लिये इस पद का उपयोग किया जा सकता है तथा निःशक्तजनों की शेष बची आरक्षित रिक्तियाँ सहायक ग्रेड-3 एवं स्टेनो टायपिस्ट में विभाजित की जा सकती है।

(5) चयनित किये गये निःशक्तजनों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित 100 बिन्दु रोस्टर में निम्नानुसार दर्शाया जायेगा :-

"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण को लंबवान आरक्षण Vertical reservation कहा जायेगा तथा निःशक्तजनों के लिये निर्धारित आरक्षण को क्षेतिज आरक्षण Horizental reservation कहा जायेगा। क्षेतिज आरक्षण Horizental reservation लंबवान आरक्षण Vertical reservation के अंतर्गत ही समायोजित होगा। जिसे interlocking reservation कहा जायेगा। निःशक्तजन के लिये आरक्षित कोटे के विरूद्ध चयनित व्यक्तियों को रोस्टर में समुचित प्रवर्ग में रखा जायेगा, यदि चयनित निःशक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उसे रोस्टर में अनुसूचित जाति के लिये चिन्हांकित विन्दु के विरूद्ध दर्शाया जायेगा। यदि चयनित निःशक्त व्यक्ति सामान्य वर्ग का है तो उसे रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु के विरूद्ध दर्शाया जायेगा। इसी प्रकार यदि वह अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जनजाति का है तो उसे रोस्टर में क्रमशः अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जनजाति के लिये चिन्हांकित विन्दु के विरूद्ध दर्शाया जायेगा।

(6) निःशक्तजनों के लिये आरक्षण की संगणना, उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार करने के वाद, विभागाध्यक्ष द्वारा, प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारियों को कुल वितरित (distribution) रिक्तियों के विरूद्ध, नियुक्ति प्राधिकारियों को सूचित किया जायेगा कि चिन्हांकित पद अथवा ग्रेड में किस विशिष्ट श्रेणी के निःशक्तजन की नियुक्ति

की जाना है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन रिक्तियों को, उसके अधीनस्थ स्वीकृत पदों में, सीधी भरती से नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये संधारित 100 बिन्दु रोस्टर में दर्शाया जायेगा। ऐसे पदों, जिन्हें निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित किया गया है तथा जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा की गई संगणना के पश्चात् ऐसी रिक्तियों को निःशक्तजनों से भरना प्रस्तावित किया गया है, के रोस्टर में ऐसी रिक्तियों को उपरोक्त सीमा तक, निःशक्तजनों के लिये आरक्षित किया जायेगा।

(7) निःशक्तजनों के लिये आरक्षित ऐसी रिक्तियों पर नियुक्तियाँ होने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करेगा जिसमें अग्रणित आरक्षण एवं उसके कारणों को भी दर्शाया जायेगा। यदि निःशक्तजनों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिये आरक्षित पद/पदों को निःशक्तजन की किसी अन्य श्रेणी से भर लिया जाता है तो "पारस्परिक अदला-बदली" के सिद्धान्त के आधार पर आरक्षित पद भरा माना जायेगा।

(8) सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की गणना सही सही की जाय तथा उनके लिये आरक्षित पदों की यथासंभव शतप्रतिशत पूर्ति हो।

(9) द्वितीय श्रेणी के निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों में उपरोक्तानुसार प्रक्रिया विभागों द्वारा अपनाई जायेगी।

त) - निःशक्तजनों को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु देय सुविधायें एवं छूट:-

(1) आयु सीमा में छूट :-

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 50-2532-1(3)80, दिनांक 12 फरवरी, 1981 द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं / पदों में सेवा योग्य निःशक्तजनों को निर्धारित आयु सीमा में दस वर्ष (10 वर्ष) की छूट प्रदान की गई है।

(2) <u>मुद्रलेखन अर्हता में छूट :-</u>

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 294-2411-1(3)75 दिनांक 18 अप्रेल, 1975, सहपठित ज्ञापन क्रमांक 844-2321-1(3)75 दिनांक 18 दिसंबर, 1975 द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक (वर्तमान में पदनाम सहायक ग्रेड-3) के पद पर नियुक्ति के लिए उन निःशक्त उम्मीदवारों को मुद्रलेखन की निर्धारित अर्हता से छूट प्रदान की गई है जिनके बारे में सिविल सर्जन अथवा विशेष रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा उनके द्वारा स्थायी रूप से विकृत होने के कारण मुद्रलेखन सीखने के लिए असमर्थ होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो। ऐसे व्यक्तियों को निम्न श्रेणी लिपिक (वर्तमान में पदना सहायक ग्रेड-3) के पद पर अन्यथा योग्य पाये जाने पर अर्थात् सामान्य हिन्दी की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, नियुक्त किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

(3) <u>स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में :-</u>

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 67- 278 -1 (3) -76, दिनांक 25 फरवरी, 1976 के अनुसार निःशक्त उम्मीदवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गई है। इस ज्ञापन में यह

भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त छूट का अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय जो नियुक्ति वाले पद का कार्य संपन्न करने में असमर्थ हो। अतः शासकीय सेवा में लिए जाने पर यह अवश्य देख लिया जाए कि व्यक्ति विशेष अपने नियुक्ति वाले पद पर कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त एवं सक्षम है अथवा नहीं। विकलांग उम्मीदवारों की ऐसे ही पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए जिस पद का वे कार्य करने के लिए योग्य हों और चिकित्सा परीक्षणकर्ता अधिकारी (प्रमुख चिकित्सक / अधीक्षक) द्वारा अपने पूर्ण संतोष के बाद ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया हो कि व्यक्ति विशेष जिस पद पर नियुक्त किया जा रहा है उस पद के कार्य के लिए शारीरिक रूप से सक्षम एवं योग्य है।

(4) <u>नवीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूटः-</u>

निःशक्तजनों के "विशेष रोजगार कार्यालय एवं व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों" को शासकीय सेवाओं के लिये निःशक्तजनों को नामांकित करने का अधिकार है। इन सभी संस्थानों के साथ सम्बद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी "चिकित्सा प्रमाण-पत्र", जो व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिये जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न किया जाता है, तो नियुक्ति के समय उसका पुनः मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अभ्यर्थी को नियुक्ति दे सकते हैं।

(5) <u>निःशक्तजनों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समान सुविधायेंः-</u>

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1-89-1-आ.प्र. दिनांक 9 जुलाई, 1991 द्वारा राज्य में दृष्टिबाधितों को शासकीय सेवा में नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समान शासकीय सेवाओं, स्थानीय संस्थाओं, शासकीय निगमों तथा शासकीय उपक्रमों में सीधी भरती से नियुक्ति में दृष्टिहीनों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है :-

1. आवेदन पत्र शुल्क में छूट

2. पंजीकरण शुल्क में छूट

3. सीधी भरती के लिये परीक्षा शुल्क में छूट

4. प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता इन उम्मीद्वारों को जब नियुक्ति हेतु साक्षात्कार या लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाय तो उन्हें निर्धारित किराये अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाय। इस पर जो खर्च हो उसे आकस्मिक व्यय माना जायेगा। जहां तक संभव हो, यात्रा भत्ता की रकम का परीक्षा या साक्षात्कार समाप्त होने के बाद ही भुगतान कर दिया जाय।

5. **दस अंकों का अधिभार :-** इन उम्मीद्वारों के लिए पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और वह वही रहेगी जो सामान्य चयन के लिए उम्मीद्वारों के लिए रखी गई है, परंतु जब कभी कोई परीक्षा या साक्षात्कार हो तो इन उम्मीद्वारों का मूल्यांकन अन्य उम्मीद्वारों की तुलना में निचले स्तर से किया जाय और उन्हें 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट दी जाय।

(ख) राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि दृष्टिबाधितों के समान उपरोक्त क्रमांक 1,2,3 एवं 5 की सुविधायें अन्य निःशक्तजनों (श्रवणबाधित एवं अस्थिबाधित) को भी प्रदान की जायें। यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–8–5/2004/आप्र/एक, दिनांक 31.3.2005 द्वारा जारी किये गये हैं।

(6) दृष्टिबाधित व्यक्तियों से कुर्सी बुनाई के संबंध में :-

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एम-19-125-84-1-4, दिनांक 7.1.1986 एवं ज्ञाप क्रमांक 9-1- 88 -1- आ.प्र., दिनांक 24.12.1988 एवं एफ 9- 3- 93 -1-आ.प्र., दिनांक 7- 9- 93 द्वारा कुरसी बुनाई का कार्य दृष्टिहीन तथा विकलांग व्यक्तियों से ही कराया जाय। अतः स्वयंसेवी संस्थाएं तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कुरसी बुनाई के कार्य हेतु दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अभाव में ही दूसरी श्रेणी के विकलांगों को नियुक्त किया जा सकता है। जिन विभाग/

कार्यालयों में लगभग 500 केन की कुर्सियाँ हैं, वहाँ चतुर्थ श्रेणी में एक पद अलग से केनिंग कार्य हेतु निर्मित किया जायें और इस पद पर दृष्टिहीन व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाय। जिन विभागों में केन की कुर्सियों की संख्या 500 से कम हो वहाँ संभाग / जिला / तहसील स्तर पर एक पूल (समूह) इस प्रकार बनाया जावे कि कुर्सियों की संख्या लगभग 500 हो जाय एवं उनके लिये किसी एक विभाग में केनर का पद निर्मित किया जाकर उस पर दृष्टिहीन व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाय। विभाग / कार्यालय वित्त विभाग की स्वीकृति से उक्तानुसार पदों का निर्माण करायें।

(7) <u>- गृह स्थान के पास पदस्थापना :-</u>

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं / पदों में निःशक्तजनों की स्थानीय आधार पर की गई भरती में, अन्य कोई प्रशासकीय बाध्यता नहीं होने की स्थिति में यथासंभव निःशक्त व्यक्ति को उसके गृह स्थान के पास पदस्थ किया जाना चाहिये। यदि निःशक्त व्यक्ति, उसके गृह निवास / गृह जिले के पास स्थानांतरण के लिये आवेदन देता है तो उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए।

<u>(आठ) - निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की भरती</u>

<u>विशेष भरती अभियान:-</u>

(1) मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, द्वारा निःशक्तजनों के लिए कार्य योजना "दीनदयाल समर्थ - 2004" तैयार की गयी है। यह योजना दिनांक 25 सितम्बर, 2004 से औपचारिक रूप से मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई है। इस योजना का बिन्दु क्रमांक 1.8 निम्नानुसार है :-

"निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का 6 प्रतिशत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों की गणना की जाकर विशेष भरती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाना।"

(2) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति विशेष भरती अभियान के तहत की जाए। विशेष भरती अभियान की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

(1) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं / पदों में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए समस्त विभागाध्यक्ष ऊपर कंडिका (छै:) में दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से उनके यहाँ रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की जानकारी दिनांक 31.5.2005 तक प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् कंडिका (छै:) में दर्शायी प्रक्रिया के अनुसार निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की गणना कर उन्हें विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों के बीच वितरित करेंगे। तदनुसार नियुक्ति प्राधिकारी, निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति की कार्रवाई विशेष भरती अभियान के तहत दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण करेंगे। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के ऐसे पद, जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं, का माँग-पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विभाग / विभागाध्यक्ष द्वारा आयोग को प्रेषित किया जायेगा। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यवाही भी यथासंभव 30 जून, 2005 तक पूर्ण हो जाए।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–8–5/2004/आप्र/एक, दिनांक 31.3.2005 द्वारा निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान प्रारंभ किया गया है जिसकी अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक के लिये होगी।

(3) राज्य शासन ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बेकलॉग के पदों को विशेष भरती अभियान के तहत दिनांक 31.3.2005 तक भरने का निर्णय लिया है। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 13.8.2004 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। सभी नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बेकलॉग के पदों को भरने हेतु समय समय पर चलाये जाने वाले विशेष भरती अभियान के तहत पद भरते समय इनमें से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति भी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के निःशक्त व्यक्ति से की जाए।

(नौ) - दृष्टिबाधित निःशक्तजनों को प्राथमिकता देने बाबत

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर, कि कार्य के स्वरूप को देखते हुए दृष्टिबाधितों के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित आरक्षण में इन लोगों को नियुक्ति देना संभव नहीं है, दृष्टिबाधितों के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत आरक्षण के विरूद्ध अन्य निःशक्तजनों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। मुख्य सचिव द्वारा अप्रैल, 2004 में की गई समीक्षा में यह बात सामने आयी थी कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में दृष्टिहीन लोक सेवकों का प्रतिनिधित्व उनके लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से काफी कम है। अतः सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 प्रतिशत ऐसे पदों की पहचान कर, उन्हें दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित करें। दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित 2 प्रतिशत पदों के विरूद्ध किन्हीं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों की नियुक्ति नहीं की जाए।

दस) - विशेष भरती अभियान की समीक्षा:-

(1) सभी विभाग / विभागाध्यक्ष विशेष भरती अभियान के तहत निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध की गई पूर्ति की समीक्षा समय-समय पर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति यथासमय शत-प्रतिशत हो। राज्य शासन स्तर पर निःशक्तजनों के लिए चलाये जा रहे विशेष भरती अभियान की समीक्षा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए चलाये जा रहे विशेष भरती अभियान की समीक्षा के साथ ही की जायेगी। अतः समस्त विभाग / विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विशेष भरती अभियान की प्रगति की जानकारी भेजते समय निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों पर की गई भरती की श्रेणीवार (यथा दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित) जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) को भेजी जाय।

(2) आगामी भरती वर्ष, 2005 से निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति की कार्यवाही इस ज्ञाप में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार, नियमित रूप से समस्त विभाग / विभागाध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. ये निर्देश, शासकीय कार्यालयों के अलावा, विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत निगम/ मण्डलों, सार्वजनिक उपक्रमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं, शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे। ये संस्थान इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति की प्रक्रिया समुचित रूप से स्वतः निर्धारित करेंगे। सभी विभाग अपने अधीनस्थ संस्थानों को इन निर्देशों से अवगत कराने के लिए इसकी यथावश्यक प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) से प्राप्त करेंगे।

(सुभाष डाफणे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 8-5/2004/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रतिलिपिः-

1. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल
2. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर
7. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
9. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के विशेष सहायक/निज सचिव, म.प्र. भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल

11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ इन्दौर,ग्वालियर
13. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर, म.प्र.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।

(आर.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Gautham

शाकेमुभो—2—विकअसाप्रविभो—1-4-05—3000.